न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
पवनीबाई पुत्री तगाराम जाति मीणा निवासी मौछाल तह0 शिवगंज	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्रीपाल मीणा

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 63/2024

–:आदेश:–

दिनांक 21.11.2025

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा फतापुरा, पटवार हल्का वाण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांडानी, तहसील शिवगंज, के खाता संख्या 17 में वर्णित खसरा संख्या 2/19 में रकबा 3.1970 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम से खातेदारी दर्ज है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि संवत 2074–2077 की खतौनी में प्रार्थीया का नाम बटुबाई पुत्री तगाराम जाती–मीणा देह खातेदार दर्ज है जबकि मुझ प्रार्थीया के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजो आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक में प्रार्थीया का नाम पवनी बाई पत्नि रघुनाथ राम जाति–मीणा हैं जो कि सही एवम् सत्य है उक्त दोनों नाम का व्यक्ति में प्रार्थीया एकमात्र स्वय है। प्रार्थीया के उक्त खसरा नम्बर की भूमि में नाम शुद्धिकरण हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक में प्रार्थीया का पवनी बाई पत्नि रघुनाथ राम जाती–मीणा है जबकि राजस्व रेकर्ड में बटुबाई पुत्री तगाराम जाती–मीणा दर्ज है। ऐसी स्थिति में पटवारी के स्तर से बटुबाई पुत्री तगाराम जाती–मीणा से पवनी बाई पुत्री तगाराम जाती–मीणा शुद्ध किया जाना संभव है। जिस पर उक्त शुद्धिकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हैं तथा प्रार्थीया द्वारा पूर्व में तहसीलदार शिवगंज को नाम शुद्धिकरण हेतु रिपोर्ट दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि मौजा फतापुरा, पटवार हल्का वाण के राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 2/19 की भूमि बटुबाई पुत्री तगाराम जाती–मीणा के स्थान पर पवनी बाई पुत्री तगाराम जाती–मीणा दर्ज कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध करने की कृपा करावे।

प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से जवाब चाहा गया। तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक कोर्ट/2025/476 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अंतिम चौसाला आघर संवत 2074–2077 के खाता संख्या 17 खसरा नम्बर 2/19 रकबा 3.1970 हैक्टयर किस्म बरसाली बटुबाई पुत्री तगाराम हिस्सा 1/6 जाति मीणा सा. जोगापुरा वगेरह दर्ज है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में बटुबाई पुत्री तगाराम दर्ज है जबकी प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड मतदान पहचान पत्र, जन अधार कार्ड बैंक खाता पासबुक में पवनीबाई पत्नी रधुनाथराम दर्ज है। प्रार्थीया के नाम शुद्धी के समर्थन में प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 24.09.2025 को हिरीबाई पुत्री तगाराम का शपथपत्र व ग्राम पंचायत जोगापुरा का प्रमाण पत्र पेश किया व दिनांक 18.11.2025 को सह खातेदार मांगीदेवी पत्नी शेषाराम मीणा का शपथपत्र पेश किया व इसी दिन इनके बयान लिये गये व इसी दिन प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर बहस की जिसे सुना गया।

लगातार पेज–2

उपखण्ड अधिकारी (सिरोही)

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, बयान, ग्राम पंचायत जोगापुरा का प्रमाण पत्र व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन व उस पर गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थीया बटुबाई व पवनीबाई एक ही व्यक्ति है। जिनका वादग्रस्त जमाबंदी में अशुद्ध नाम दर्ज हो गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा फतापुरा पटवार हल्का वाण** के खाता संख्या नया 17 खसरा नं0 2 / 19 रकबा 3.1970 हैक्टयर में सा. देह खातेदार में दर्ज नाम बटुबाई पुत्री तगाराम जाति मीणा के स्थान पर **पवनीबाई पुत्री तगाराम** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, आई.ए.एस.)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 / 650
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 21–11–2025

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)